मताधिकार फक्त लोकशाहीसाठी | VOTE FOR DEMOCRACY

11 अप्रैल, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

सिटिजन कलेक्टिव ने चुनाव आयोग से चुनाव में पारदर्शिता और जवाबदेही पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की, चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया।

- ईसीआई वेबसाइट पर सर्च करने योग्य डेटाबेस में पूर्व और वर्तमान मतदाता सूचियां क्यों उपलब्ध नहीं हैं?
- ईसीआई वेबसाइट पर सर्च करने योग्य डेटाबेस में एग्रीगेट वोटर काउंट डेटा व फॉर्म 17-सी के सभी संस्करण उपलब्ध क्यों नहीं हैं?
- फॉर्म 9, 10, 11, 11 ए, 11 बी, जिनमें मतदाता सूची संशोधन (जोड़ने और हटाने) से संबंधित सभी प्रक्रियात्मक डेटा शामिल हैं, पारदर्शी और सुलभ प्रारूप में सर्च करने योग्य डेटाबेस में उपलब्ध क्यों नहीं हैं?
- ईवीएम का सोर्स कोड ओपन सोर्स क्यों नहीं है और सभी मशीनों में सॉफ्टवेयर की अखंडता के स्वतंत्र सत्यापन को सक्षम करने हेतु यह सार्वजनिक रूप से निरीक्षण योग्य क्यों नहीं है?
- स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की पहुंच, निगरानी और निरीक्षण के साथ सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) की सामग्री का पूर्ण खुलासा क्यों नहीं किया जाता?
- वीवीपीएटी पर्चियों की 100% गिनती क्यों नहीं की जाती?

क्या भारत में तकनीकी कमजोरियों से युक्त एक अदक्ष, अर्ध-स्वचालित, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ईवीएस) नहीं है, जिसे तत्काल परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है?

चिंतित नागरिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भारत की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता से जुड़ी गंभीर चिंताओं पर आयोग की निरंतर चुप्पी और निष्क्रियता पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। यह ज्ञापन जुलाई 2024 में दिए गए एक नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया गया है और चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए छह तत्काल मांगों को दोहराता है।

वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD) के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के इस समूह ने चुनाव आयोग की राजनीतिक कार्यपालिका से बढ़ती निकटता, आदर्श आचार संहिता (MCC) के पालन में असफलता, विभाजनकारी भाषणों पर अंकुश लगाने की अनिच्छा और इसकी स्वतंत्रता के क्षरण पर सवाल उठाए हैं।

CSDS सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, आज केवल 28% भारतीय ही चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, जो लोकतांत्रिक पतन का एक खतरनाक संकेतक है।

चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में जन संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ तीन घंटे लंबे राष्ट्रीय परामर्श के परिणामस्वरूप चुनाव आयोग को छह प्रमुख मांगों के साथ यह ज्ञापन सौंपा गया है। विशेषज्ञ समितियों के साथ राज्य-स्तरीय परामर्श शीघ्र ही आयोजित किए जाएंगे।

इस ज्ञापन का देश भर की 83 प्रमुख हस्तियों ने समर्थन किया है, जिनमें कंप्यूटर वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, पूर्व न्यायाधीश, सिविल सेवक, पत्रकार और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं, जो चुनावी अखंडता की मांग को लेकर एकजुट हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में एम. जी. देवसहायम (पूर्व आईएएस और सेना अधिकारी), माधव देशपांडे (कंप्यूटर वैज्ञानिक), प्रोफेसर हरीश कार्निक (कंप्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ), न्यायमूर्ति डी. हरिपरंथमन और न्यायमूर्ति बी. जी. कोलसे पाटिल (पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश), अरुणा रॉय (मजदूर किसान शक्ति संगठन), वेंकटेश नायक (सीएचआरआई), अंजलि भारद्वाज, ई. ए. एस. सरमा आईएएस (सेवानिवृत्त), प्रशांत टंडन (वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार), तीस्ता सेतलवाड़ (वरिष्ठ पत्रकार और लेखक), राजू परुलेकर (लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार) आदि शामिल हैं। चुनाव कानून, नीतियों, डेटा प्रणाली और मानवाधिकार के क्षेत्रों में इन सभी की सामूहिक विशेषज्ञता इन छह मांगों को विश्वसनीयता और गंभीरता प्रदान करती है। उनका यह कदम देशभर में चुनावी पारदर्शिता के गिरते स्तर और जरूरी चुनावी सुधारों की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

ईसीआई को ज्ञापन

प्रणालीगत खामियों का हवाला देते हुए इस समूह ने कई स्तरों पर संभावित हेरफेर को उजागर किया है — जैसे अपारदर्शी मतदाता सूची प्रबंधन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ईवीएस) में छेड़छाड़ की संभावनाओं तक। उन्होंने विशेष रूप से यह कहा है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का डिज़ाइन और संचालन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, बल्कि इनमें तकनीकी कमजोरियां और प्रक्रियात्मक चूकें हैं, जो उनकी विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाती हैं।

ज्ञापन में उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल हैं:

- पारदर्शिता की कमी और सिंबल लोडिंग यूनिट्स (एसएलयू) की स्वतंत्र निगरानी का अभाव,
- फॉर्म 17सी और वीवीपीएटी रिकॉर्ड जैसे प्रमुख चुनावी डेटा को जारी करने में विफलता,
- आम जनता के लिए अद्यतन और सर्च करने योग्य मतदाता सूची का अभाव,
- और ईवीएम के सोर्स कोड को सार्वजनिक जांच के लिए प्रस्तुत करने से इनकार।

ज्ञापन में छह प्रमुख मांगों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें चुनाव आयोग को तुरंत पूरा करना चाहिए:

1. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और खोज योग्य मतदाता सूची:

सभी पूर्व और वर्तमान मतदाता सूचियों को विस्तारपूर्वक, जोड़ने और हटाने की जानकारी सहित, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च करने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराएं ताकि सार्वजनिक सत्यापन संभव हो सके।

2. फॉर्म 17सी पारदर्शिता:

प्रत्येक बूथ और निर्वाचन क्षेत्र से सभी फॉर्म 17सी डेटा (मतदान का रिकॉर्ड), कुल वोटों की गिनती के साथ सार्वजनिक जांच हेतु सर्च करने योग्य डेटाबेस में अपलोड करें।

3. मतदाता सूची संशोधन फॉर्म तक पहुंच:

फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी, जिनमें मतदाता सूची संशोधन (जोड़ने और हटाने) संबंधी डेटा शामिल है, पारदर्शी और सुलभ प्रारूप में सर्‍च करने योग्य डेटाबेस में जारी किए जाएं।

4. ईवीएम सोर्स कोड खोलें:

ईवीएम का सोर्स कोड ओपन सोर्स और सार्वजनिक रूप से निरीक्षण योग्य बनाएं, ताकि सभी मशीनों के सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जा सके।

5. एसएलयू सामग्री का पूरा खुलासा:

चुनावों में उपयोग की जाने वाली हर एक सिंबल लोडिंग यूनिट की पूरी सामग्री को सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति दें और स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की पहुंच/निगरानी और निरीक्षण के साथ इसकी जानकारी साझा करें।

6. पेपर बैलट सत्यापन को बहाल करें:

वीवीपीएटी प्रक्रिया को इस प्रकार संशोधित करें कि मतदाता द्वारा देखी गई पर्ची उसे एक अलग बैलेट बॉक्स में मैन्युअल रूप से डालने को दी जाए, और इन पर्चियों की 100% गिनती हो। अंतिम मतगणना केवल इन कागजी रिकॉर्ड के आधार पर की जानी चाहिए।

ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि ईवीएस की वर्तमान अर्ध-स्वचालित, विखंडित संरचना — जिसमें 10.5 लाख से अधिक स्वतंत्र वोटिंग मशीनें शामिल हैं — इसे मानव त्रुटियों और राजनीतिक हस्तक्षेप दोनों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सत्यापित 17सी फॉर्म या सुसंगत वीवीपीएटी टैली जैसे बुनियादी ऑडिट ट्रेल्स की अनुपस्थिति चुनावी वैधता को कमजोर करती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन तरीकों और सिटिजन्स कमिशन ऑन इलेक्शन (CCE) के निष्कर्षों का हवाला देते हुए ज्ञापन में इस बात पर बल दिया गया है कि जब तक मतदान तकनीक स्वतंत्र ऑडिटिंग और सत्यापन के लिए खुली नहीं होगी, तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भारतीय मतदाताओं का विश्वास लगातार कमजोर होता रहेगा। हस्ताक्षरकर्ताओं ने भारतीय चुनाव आयोग से नागरिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद करने का आग्रह किया है ताकि इन दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान निकाला जा सके। ज्ञापन में दर्ज छह मांगें न केवल व्यवहार्य हैं, बल्कि भारत की चुनावी अखंडता में विश्वास बहाल करने के लिए अत्यावश्यक हैं। इन मुद्दों पर कार्रवाई करने से इनकार करना लोकतांत्रिक जवाबदेही की उपेक्षा का संकेत होगा और चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को और कम करेगा। पारदर्शिता का समय अब आ गया है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया पूरा ज्ञापन यहां देखें:

🔗 https://votefordemocracy.org.in
🔗 https://sabrangindia.in

चुनावी प्रक्रिया की जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय अभियान भी शुरू किया गया है

- हाल ही में हुए तीन घंटे के परामर्श के बाद चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें नागरिक समाज समूहों के बीच चर्चा के दौरान उभरी छह प्रमुख मांगें शामिल हैं।
- दर्जनों नागरिक समाज समूह, पूर्व नौकरशाहों और पेशेवरों सहित प्रमुख बुद्धिजीवी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और एक जवाबदेह चुनाव आयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने हेतु एकत्रित हुए हैं।
- परामर्श में प्रतिभागियों ने चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस की और अभियान में ईवीएम, आदर्श आचार संहिता के दुरुपयोग, और चुनावों में समान अवसरों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठ रही है। अभियान ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है और विभिन्न हितधारकों व मतदाताओं के बीच इस पर सहमति बनाने की दिशा में काम किया है।
- लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह जताया गया, जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद और गहरा हुआ है।

- मतदाता सूची की शुद्धता एक बड़ी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पांच महीने पहले 37 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि चुनाव आयोग ने इस पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने के मामले सामने आए हैं।

- चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, जिसका कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा।

एम. जी. देवसहायम,
सिटिजन्स कमिशन ऑन इलेक्शन (CCE)

तीस्ता सेतलवाड़,
वोट फॉर डेमोक्रेसी

संपर्क: votefordemoc@gmail.com